तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्रकरण संख्या 30/2017 बअनवान सरकार बनाम हरलाल वगैरह	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार रोहट	:	हरलाल पुत्र श्री पुखाराम जाति बावरी राजपूत निवासी आटण तहसील रोहट के कायम मुकाम वगैरह :– 1. लूंगोदेवी पत्नी हरलाल 2. दलाराम पुत्र हरलाल 3. चन्दाराम पुत्र हरलाल 4. गिरधारीराम पुत्र हरलाल 5. घेवरराम पुत्र हरलाल 6. छोगाराम पुत्र हरलाल 7. राजूराम पुत्र हरलाल 8. अमराराम पुत्र हरलाल 9. प्रतापराम पुत्र हरलाल 10. महेन्द्रराम पुत्र हरलाल 11. शान्ति पुत्री हरलाल 12. गेनूड़ी पुत्री हरलाल

30.12.2024

पत्रावली आज पेश हुई।

सरकारी पैरोकार उपस्थित।

प्रकरण के संबंध में संक्षेप तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली के प्रकरण संख्या 75/1990 निर्णय दिनांक 22.09.1990 के विरूद्ध न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली के यहां अपील संख्या पाली/एल.आर./19/2008 दर्ज हुई। न्यायालय, अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली में पैरोकार सरकार द्वारा हरलाल पुत्र पुखाराम के विरूद्ध आवंटन निरस्तीकरण का आवेदन बाबत् ग्राम आटण, तहसील रोहट की आराजी संख्या 193 रकबा 12 बीघा किस्म बारानी द्वितीय के आवंटन दिनांक 06.05.1986 को निरस्त करने का आवेदन प्रस्तुत किया गया था। न्यायालय, अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली द्वारा पूर्वानुसार वर्णित अपने निर्णय दिनांक 22.09.1990 से तहसीलदार का आवेदन स्वीकार कर आवंटन निरस्त कर दिया था, जिसके विरूद्ध पूर्वोक्त अपील संख्या पाली/एल. आर./19/2008 दर्ज हुई जिसका निर्णय राजस्व अपील प्राधिकारी पाली द्वारा दिनांक 21.10.2010 को करते हुए न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली के आवंटन निरस्तीकरण के निर्णय को अपास्त करते हुए इस न्यायालय को प्रकरण प्रति–प्रेषित कर निर्देशित किया कि अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है। अतएव उसे सुनवाई का अवसर देकर नव–निर्णय पारित करे। उक्त निर्देशों की पालना में प्रकरण इस न्यायालय में पुनः दिनांक 23.06.2011 को दर्ज किया गया जो वर्तमान पत्रावली के रूप में कार्यवाही विचाराधीन चलती रही। दिनांक 11.12.2012 की आदेशिका अनुसार हरलाल के फौत होने की रिपोर्ट उसके पुत्र दलाराम द्वारा पेश किये जाने के निर्देशों के साथ आदेशिका लिखी गई थी। अप्रार्थी के फौत

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

जिला कलेक्टर, पाली

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्रकरण संख्या 30/2017 बअनवान सरकार बनाम हरलाल वगैरह	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए

होने के बाद तहसीलदार (भू.अ.) रोहट ने अपने पत्रांक 1865 दिनांक 24.09.2013 द्वारा अप्रार्थी हरलाल के समस्त वारिसान् 09 पुत्र व 02 पुत्रियां एवं पत्नी को कायम मुकाम के रूप में प्रस्तुत किया, जिन सभी की तामील न्यायालय हाजा द्वारा करवाई गई परन्तु बावजूद तामील नोटिस कोई भी कायम मुकाम इस न्यायालय में वकालतन अथवा असालतन उपस्थित नहीं हुआ है तथा अपनी ओर से कोई दस्तावेज अथवा साक्ष्य न्यायालय हाजा में प्रस्तुत नहीं की है। चूंकि जैर प्रकरण में माननीय न्यायालय राजस्व अपीलीय प्राधिकारी पाली के निर्देशों के अनुसार अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर देकर नव–निर्णय पारित किया जाना था परन्तु इस न्यायालय हाजा द्वारा मृतक हरलाल के सभी वारिसान् को सूचना करने के बावजूद इस न्यायालय में कोई भी उपस्थित नंहीं हुआ है।

अतः न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 75/1990 निर्णय दिनांक 22.09.1990 में हमारे स्तर पर कोई भी परिवर्तन किया जाना मुनासिब एवं विधिक नहीं है। अतएव न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 75/1990 निर्णय दिनांक 22.09.1990 को बहाल रखते हुए अप्राथी आवंटी हरलाल को किया गया आवंटन ग्राम आटण में स्थित खसरा संख्या 193 रकबा 12 बीघा किस्म बारानी द्वितीय के निरस्तीकरण के आदेश को बहाल रखा जाता है व तहसीलदार रोहट को निर्देशित किया जाता है कि जैर आराजी यदि राजस्व रेकर्ड में बिलानाम अंकित नहीं है तो बिलानाम अंकित करने की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करे। निर्णय की प्रति तहसीलदार की रोहट को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

जिला कलक्टर, पाली

जिला कलेक्टर, पाली

Scanned with ACE Scanner